कार्यालय मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

पत्रांकः– 905 /मी0क्षे0/33/दिनांक मीरजापुर, जुलाई 10, ,2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

विषय– रिलायन्स 4 जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901 हे0 आरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल (असे0एफ0सी0) बिछाये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– शासन का पत्रांक संख्या 146/14–2–17–800(161)/2018 दिनांक 23.04.2018 तथा आपका पत्र संख्या 3005/11–सी/एफ0पी0/यू0पी0/अदर्स/24318/2017 दिनांक 25.04.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किया जायेगा, तत्क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी से प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं ।

उक्त के अनुपालन हेतु प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ओबरा को इस कार्यालय के पत्रांक 5039/मी0/33/दिनांक 27.04.2018 द्वारा निर्देशित किया गया । प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ने अपने कार्यालय के पत्रांक 4432/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 14.06.2018 द्वारा प्रस्तावक से प्रश्नगत से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उसे प्रतिहस्ताक्षरित कर दो प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग द्वारा विषयक के संबंध में प्रेषित प्रमाण–पत्र दो प्रतियों में एतद्सह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–**उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

(डा0प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या 905 **अ/समदिनांक।**

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ओबरा को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

Reliance Jio
Infocomm Limited

वचनवद्धता प्रमाण पत्र

रिलायन्स 4जी परियोजना हेतु जनपद ओबरा वन प्रभाग में एस.एच–5 (वाराणसी–शक्तिनगर रोड) के कि.मी. 87.00 से कि.मी.115.00 तक कुल कि.मी. 28.00 एंव 0.2901 हे0 आरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने से सम्बन्धित प्रकरण में इस आशय की वचनवद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेण्ट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किया जायेगा।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

भवदीय,
कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता